NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 161 / NCRES / 20

दिनांक 23.8.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– NFIR के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 18.8.2020

महोदय,

दिनांक 18.8.2020 की बैठक में निम्न पर विचार व्यक्त किया।

1. एजेण्डा नं0 1 – पर NCRES ने कहा कि NDA सरकार द्वारा जिस तेजी से रेल के कार्यो का निजीकरण किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि यदि सरकार के कार्यो पर अंकुश न लगा तो रेल निजी हाथो में चला जायेगा। इस सम्बन्ध में NCRES ने यह भी कहा कि वर्तमान Covid-19 के संक्रमण काल में सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिये कर्मचारियों के बीच जाकर उन्हे लम्बे संघर्ष के लिये तैयार करना होगा।

NCRES का यह भी विचार है कि सरकार के निजीकरण की नीतियों के विरूद्ध संघर्ष के लिये राजनीतिक दलो का भी सहयोग लिया जाय और उनसे सम्पर्क कर उन्हें विस्तार से बताया जाय कि यह NDA की सरकार अन्य संस्थानो की तरह रेल संस्थान का भी निजीकरण कर रही है और उनसे अनुरोध किया जाय कि वो इस पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम उठाये।

इस सम्बन्ध में NCRES ने निश्चय किया है कि जल्द ही कर्मचारियों के बीच सम्पर्क के लिये शाखाओं को भेजा जायेगा ताकि शाखायें सरकार के निजीकरण की नीतियों के बारे में कर्मचारियों को विस्तार से बताकर उन्हें संघर्ष के लिये तैयार कर सके।

2. एजेण्डा नं0 2 – पर अवगत कराना है कि – रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 6.8.2020 के सम्बन्ध में प्रयागराज, झांसी और आगरा मण्डल द्वारा सुझाव दिया गया है लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकारियों द्वारा अपने सुपरवाइजर को सुझाव देने के लिये कहा गया है।

3. एजेण्डा नं0 3 – पर NCRES का मानना है कि यूनियनो की मान्यता के चुनाव के लिये जो मोडालिटी रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 16.8.2019 को जो जारी किया गया है, उसमें रेलवे बोर्ड परिवर्तन करना चाहता है। इस सम्बन्ध में NCRES का सुझाव है कि मान्यता के लिये निर्धारित कुल वोट का 30% या वैध मतो का 35% वोट प्राप्त करने की शर्त में कोई परिवर्तन न होने दिया जाय। यदि इसके लिये कोर्ट का सहारा भी लेना पड़े तो संकोच न किया जाय।

धन्यवाद।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री